खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 2014

योजना का विवरण:- अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए यह योजना होगी। इस योजना का लाभ योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले समस्त परिचय पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों को प्राप्त होगा।

पात्रता:- पद्व हितलाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा उसके परिवार के सदस्य को सदस्य को मण्डल द्वारा आयोजित अथवा किसी जिला स्तर/संभागीय स्तर/राज्यस्तरीय खेल में विजेता/चयनित होने पर निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

उक्त प्रोत्साहन राषि प्रत्येक वर्ष के चयन पर पृथक-पृथक देय होगी।

चयन पर	**जिला/संभागीय/राज्य स्तरीय खेल में चयनित होने पर प्रोत्साहन राशि**	**मण्डल द्वारा जिला/संभागीय/राज्य स्तरीय खेल में विजेता होने पर प्रोत्साहन राशि**
जिलास्तर पर	10,000/-	5,000/-
संभागीय स्तर पर	25,000/-	15,000/-
राज्य स्तर पर	50,000/-	30,000/-

योजना में हितलाभ का भुगतान - मान्यता प्राप्त खेल संस्था के माध्यम से जिले के पुलिस अधीक्षक अथवा जिला क्रीडा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पदाभिहित अधिकारी को दिया जायेगा। योजनांतर्गत पात्रता की जांच उपरांत पदाभिहित अधिकारी द्वारा हितलाभ भुगतान किया जायेगा।

पदाभिहित अधिकारी-

ग्रामीण क्षेत्र हेतु - मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

शहरी क्षेत्र हेतु - आयुक्त, नगर निगम अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद

मण्डल द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में विजेता को प्रोत्साहन राशि आयोजक श्रम विभागीय अधिकारी द्वारा प्रदाय की जायेगी।